अपील सूचना अधिकार संख्या 49/2021 (RCMS 2021/76) (RTI-212145411552610) श्री रामचन्द्र पुत्र लाला राम ब्राह्मण गांव [illegible] तहसील रायसिंहनगर (मोबाईल नं. 83028–43665) बनाम तहसीलदार (राजस्व), रायसिंहनगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

02.08.2021

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री रामचन्द्र उपस्थित नहीं है। **मैनें पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने** अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 19.04.2021 से तहसीलदार (भू.अ.), रायसिंहनगर **से** सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के तहत दो बिन्दुओं की सूचना चाही थी, जो लोक सूचना अधिकारी द्वारा उसे उपलब्ध नहीं करवाई गई है। इसलिए उसने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधनों के अनुसार 250/– प्रतिदिन जुर्माना व अनुशासनात्मक कार्यवाही कर निःशुल्क सूचना देने के लिए यह अपील पेश की है।

पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी ने सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत अपने आवेदन पत्र दिनांक 19.04.2021 के द्वारा तहसीलदार (भू.अ.), रायसिंहनगर के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निम्न सूचना चाही थी:

1. चक 33 पीएस के मुरब्बा नंबर 57 किला नंबर 1 ता 25 बरानी भूमि का कार्यालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा सनद संख्या.......जारी दिनांक........ सनद खातेदारी जारी की गई उक्त सनद खातेदारी नामां. संख्या.......... दिनांक.........राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरा[illegible] हुई [illegible] खातेदारी मुरब्बा नंबर 57 [illegible] 25 [illegible] आंवटन आदेश [illegible] आदेश संबधित रिकार्ड की प्रमाणित सूदा [illegible]

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

2. गांव खांटा बरानी मुरब्बा नंबर 89 किला नंबर 4 ता 7 व 14 ता 17 एवं 24 व 25 बरानी भूमि का कार्यालय जिला कलक्टर, श्रीगंगानगर बरानी भूमि का कार्यालय जिला कलक्टर श्रीगंगानगर द्वारा सनद संख्या ....जारी दिनांक .... सनद खातेदारी जारी की गई उक्त सनद खातेदारी नामां. संख्या .... दिनांक .... राजस्व रिकॉर्ड में अमलदराज हुई मुताबिक सनद खातेदारी मुरब्बा नंबर 89 किला नंबर 4 ता 7 व 14 ता 17 एवं 24, 25 रकबा आवंटन आदेश दिनांक .... आंवटन आदेश संबधित रिकार्ड की प्रमाणित सूदा नकल।

तहसीलदार (भू.अ.)रायसिंहनगर ने अपने पत्रांक टीआरए/.21/117 दिनांक 02.07.2021 से अपील का जवाब निम्नानुसार प्रेषित किया है

श्री रामचन्द्र पुत्र लालाराम द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 19.04.2021 द्वारा चक 33 पीएस के मु0नं0 57 के कि.न. 1 ता 25 का श्रीमानजी द्वारा जारी सनद/खातेदारी क्रंमाक तथा दिनांक व उपरोक्त रकबे की आवंटन आदेश दिनांक तथा चक खाटा बारानी के मु0नं0 89 के किला नं0 4 ता 7, 14 ता 17 तथा 24 व 25 बारानी भूमि [illegible] सनद/खातेदारी का क्रंमाक [illegible] दिनांक के रिकॉर्ड [illegible] थी। कोरोना महामारी के कारण तहसील कार्यालय सूचारू रूप से नही खुलने

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

> **के कारण निर्धारित समय में सूचना प्रार्थी को नही दी जा सकी।**
>
> **अतः अपीलार्थी से दूरभाष पर सम्पर्क कर अपीलार्थी को चक 33 पीएस के मु0 न0 57 तथा खांटा बारानी के मु0नं0 89 के सैल रजिस्टर की प्रति उपलब्ध करवा दी गई है। जिससे अपीलार्थी पूर्ण रूप से संतुष्ट है।**
>
> **अतः श्रीमानजी कृप्या प्रकरण को निस्तारित करने का श्रम करे।**
>
> **-sd-**
> तहसीलदार (राजस्व),
> रायसिंहनगर

उक्त के अतिरिक्त अपीलार्थी रामचन्द्र का ई–मेल से पत्र प्राप्त हुआ जिसमें उसने अंकित किया है कि उसे द्वारा चाही गई सूचना उसे श्रीमान् तहसीलदार द्वारा दिनांक 25.06.2021 को उसे उपलब्ध करवा दी गई है तथा वह इस सूचना से पूर्ण रूप से संतुष्ट है।

चूंकि अपीलार्थी रामचन्द्र को दिनांक 25.06.2021 को वांछित सूचना उपलब्ध हो गई है जिससे वह संतुष्ट है। इस आश्य का पत्र भी पत्रावली में उपलब्ध है। इसलिए प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत अपील निष्प्रभावी हो गई है अतः अपीलार्थी की अपील इसी आधार पर खारिज करने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है आादेश की प्रति तहसीलदार (भू.अ.), रायसिंहनगर को **पालनार्थ भिजवाई जावे एवं अपीलार्थी को भी सूचनार्थ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे।** पत्रावली बाद तरतीब़ तकमील दाख़िल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक [illegible] को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Zakir Hussain
Date: 2021.10.12 12:10:47 IST
Reason: SelfAttested

(जाकिर हुसैन)
जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर